



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./44/एसएलबीसी/सितम्बर 2017/१

04.01.2018

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2017 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त सितम्बर 2017 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 26.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(संजीव गुप्ता)

सहायक महाप्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2017 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 26.12.2017 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन; श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (के.वी.आई.बी.); श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि); श्री अच्छे लाल सिंह, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री बी. एस. ढाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम – “उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, 2017” का क्रियांवयन Standard Accounts हेतु -3- चरणों में सम्पन्न हो चुका है जिसमें लगभग -34.13- लाख किसानों को रु. 20968.44 करोड़ की धनराशि का लाभ प्रदान किया जा चुका है। एन.पी.ए. खातों हेतु इस योजना का क्रियांवयन प्रगति पर है। विभिन्न मानकों में सितम्बर 2017 तिमाही के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस योजना के क्रियांवयन का impact निश्चय ही आया है जो बैंकर्स के लिए एक challenge व साथ ही साथ opportunity बनकर उभरा है। हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को हम पुनः कृषि व तत्सम्बन्धी गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान कर सकें जिसके परिणाम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की महत्वाकांक्षी योजना में परिलक्षित हो सकेंगे।
2. Aadhaar Enrollment and Authentication in all Accounts बैंकर्स के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है और अब इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की तिथि 31.03.2018 तक बढ़ा दी गई है। हमारे प्रदेश में विभिन्न बैंकों की कुल -1634- शाखाएं इस कार्य हेतु चयनित की गयी हैं। बैंकों द्वारा इस Challenging task में सहभागिता हेतु अनुरोध है।
3. PFRDA द्वारा People First Campaign के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 7 से 20 नवम्बर 2017 तक बैंकों व अन्य संस्थानों के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत कुल -101826- APY Enrolments किये गये जिसकी भरपूर सराहना PFRDA व वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है। विभिन्न Stakeholders को felicitate करने के उद्देश्य से माह फरवरी 2018 में PFRDA द्वारा एक उच्च स्तरीय सम्मान समारोह प्रस्तावित किया गया है। इस अभियान की सफलता हेतु यहाँ मौजूद सभी Stakeholders सराहना के पात्र हैं।
4. दिनांक 08.12.2017 को कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक All India Conference का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसमें Crop Insurance & Interest Subvention Scheme को Portal पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा प्रतिनिधियों से suggestions आमंत्रित किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन प्रस्तावित हैं ताकि इस योजना का scope और बढ़ाया जा सके। यहाँ मौजूद सभी Stakeholders से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियांवयन हेतु सभी शाखाएं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. विभिन्न योजनाओं की प्रगति आज के एजेण्डा बिंदु में सदन के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत की गयी है और निश्चय ही आज की चर्चा हमें भविष्य में कार्य करने हेतु एक दिशा निर्धारित करेगी फिर भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान प्रदान कर सकें।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टैक होल्डर्स से विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु पुनः अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व ससमय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं, बैंको में जमा एवं निवेश सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा हेतु एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अपना कार्य सुचारु रूप से कर पा रही है, इसमें उत्तर प्रदेश शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभागों एवं एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा अपेक्षित सहयोग महत्वपूर्ण है। एस.एल.बी.सी. अपनी -7- उप समितियों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा प्रगति तिमाही कराती रहती है। श्री गर्ग ने विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा की :



राज्य की स्थिति:

भारत की अर्थव्यवस्था में उ.प्र. का द्वितीय स्थान है। प्रदेश के 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रु. 14.46 लाख करोड़ है। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रानुसार कृषि का 23%, उद्योग का 28% एवं 49% सेवा क्षेत्र का योगदान है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में अनुमानित आय रु. 3.20 लाख करोड़ एवं व्यय रु.3.85 लाख करोड़ है। कुटीर उद्योग प्रदेश में काफी लोगो की जीविकोपार्जन का साधन सिद्ध हो रहा है अतः इसका प्रदेश में रोजगार सम्बन्ध में अच्छा स्थान हो गया है।

उ. प्र. सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु पाँच बड़े नगर यथा मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में मेट्रो स्थापित एवं संचालन के लिए चयनित किये है। लखनऊ में मेट्रो का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा विस्तार जारी है। इस वर्ष सरकार ने उद्योग और निवेश को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत फैसले किये है। राज्य सरकार ने Eastern Dedicated Freight Corridor, Amritsar- Kolkata Industrial Corridor एवं Delhi Mumbai Industrial Corridor पर Integrated Manufacturing Clusters and Industrial Development की गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी है।

श्री गर्ग ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार फरवरी माह में U P Investor's Summit 2018 आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुम्बई एवं कोलकत्ता में रोड़ शो आयोजित कर प्रचार किया जा रहा है। UP Investor's Summit 2018 में भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने हेतु लगभग 5000 प्रतिनिधियों के प्रतिभाग करने की सम्भावना है।

वर्तमान में प्रदेश सरकार प्रदेश के लघु एवं मध्यम किसानों की ऋण माफी योजना 2017 लागू की है। आप सभी अवगत है भारत सरकार Cash Less Transaction एवं Digital Payments को बढ़ाने के लिए सतत कार्यरत है। प्रदेश के लिए निर्धारित 312 करोड़ के डिजिटल भुगतान लक्ष्यों में से बैंको देतु 200 करोड़ ट्रांजेक्शन का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष में अब तक लक्ष्य के सापेक्ष सितम्बर 2017 तक 97 करोड़ डिजिटल संव्यवहार बैंको द्वारा सम्पन्न हुए जो लक्ष्य का 48.50% है।

वैश्विक परिदृश्य:

कार्यकारी निदेशक महोदय ने सदन में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की भी सूक्ष्म चर्चा की। अमेरिका ने गत तीन वर्षों में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव के बावजूद 2017 के तीसरे त्रैमास में आर्थिक उन्नति उच्चतम स्तर पर स्थापित की जिसमें निजी उपभोग, निवेश एवं नेट निर्यात की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका प्रगति को मजबूत करने में परिलक्षित होती है। विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) चौथे त्रैमास के लिए विश्व व्यापार में धीमी गति की ओर इशारा करता है इसका प्रमुख कारण निर्यात में कमी का दर्ज होना है। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन द्वारा बाजार को स्थिर करने के कारण कच्चे तेल की कीमत गत ढाई वर्षों में उच्चतम स्तर तक पहुँच गई। अमेरिकी डालर की कीमत में वृद्धि के कारण सोने की कीमत दबाव में रही।

राष्ट्रीय परिदृश्य:

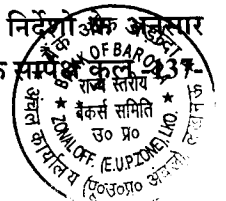
देश में स्थानीय (घरेलू) स्तर पर गत लगातार 5 त्रैमासों की अवरूद्ध प्रगति के बाद औद्योगिक गतिविधियों द्वारा दर्ज सीधी वृद्धि के कारण इस वर्ष की द्वितीय तिमाही में सकल मूल्य वृद्धि हुई है। उद्योग जगत के तीनों घटकों में वृद्धि दर्ज हुई। जी.एस.टी. के लागू होने के उपरांत बाजार माँग में सुधार महसूस किया गया। इसके विपरीत कृषि एवं सम्बद्ध कार्य में नकारात्मक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से वित्तीय, बीमा, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाओं में कमी दर्ज की गयी है।

द्वितीय तिमाही के पश्चात रबी की बुआई में भी गत वर्ष के सापेक्ष कमी दर्ज हुई है। दीर्घकालीन औसत के सापेक्ष अक्टूबर से ही 13% बुवाई कम दर्ज हुई है। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी भण्डारण क्षमता गत वर्ष में 67% रही जिसके सापेक्ष इस वर्ष 64% जल भण्डारण रहा। इस वर्ष दालों की बुवाई में वृद्धि दर्ज हुई जिसका कुछ कारण निर्यात से प्रतिबन्ध का हटा लेना समझा जाता है।

राज्य के मूल सूचकांक: व्यापार वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति एवं शाखा विस्तार योजना:

प्रदेश का कुल जमा दिनांक 30.09.2017 को रु. 883127.95 करोड़ तथा ऋण रु. 406447.08 करोड़ रहा। जहाँ कुल ऋणराशि में जून 2017 से रु. 1943.75 करोड़ की कमी आयी वहीं कुल जमा राशियाँ पिछली तिमाही के मुकाबले रु. 9955.35 करोड़ से बढ़ी हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्ग को प्रदान किये गये ऋण क्रमशः 63.38%, 29.81% एवं 21.62% है। सितम्बर 2017 तक 21 नयी बैंक शाखाएँ खोली जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एस.एल.बी.सी. के सदस्य बैंको से परामर्श कर -571- शाखाएँ खोलने का रोडमैप तैयार किया गया था जिसके सम्पन्न होने का लक्ष्य 2020 तक है। शाखाएँ बैंकिंग आउटलेट ही खोले जा सके है। श्री गर्ग ने सभी बैंको से शेष शाखाएँ खोलने की अपील की।



वर्ष 2017-18 वार्षिक ऋण योजना का प्रदर्शन:

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की सितम्बर 2017 तिमाही तक बैंको ने निर्धारित लक्ष्य रु. 200958.25 करोड़ के सापेक्ष रु. 77808.63 करोड़ का निवेश किया है जो 38.72% उपलब्धि दर्शाता है। ऋण मोचन योजना के क्रियावयन के फलस्वरूप Outstanding Advances का स्तर गिरा है।

वित्तीय समावेशन योजना:

वित्तीय समावेशन आज राष्ट्रीय प्राथमिकता हो गयी है। उन्होंने सदन के समक्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा जीवन ज्योति बीमा योजना तथा जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में उ.प्र. में किये गये योगदान का उल्लेख किया जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है।

प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको को अपने खाता धारकों के आधार प्रमाणीकरण का कार्य करना है। भारत सरकार के नये निर्देशों के अनुसार कामर्शियल बैंको को अपनी प्रति 10 शाखाओं में एक शाखा में आधार पंजीकरण केन्द्र खोलना है। इस सम्बन्ध में कार्य जारी है। वित्तीय साक्षरता एवं निवेश परामर्श के केन्द्रों के सफल संचालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। हर्ष का विषय है कि इन केन्द्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों के Cashless Transaction की ओर भी सक्रिय योगदान प्रदान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना:

इस योजना में 30 सितम्बर 2017 तक लगभग 19.87 लाख किसान लाभांशित हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यावयन सभी कामर्शियल बैंको में हो रहा है। यह एक निरंतर जारी रहने वाला कार्यक्रम है अतः सभी से इस कार्यक्रम की सफलता हेतु अपील है।

ऋण जमा अनुपात:

प्रदेश के समस्त बैंको का ऋण जमा अनुपात 46.02% आंका गया जोकि जून 2017 के सापेक्ष 0.75% कम हुआ है। यह एक चिंता का विषय है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है।

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम – पी.एम.एम.वाई./स्टैंड अप इण्डिया कार्यक्रम का क्रियावयन :

अवगत कराया गया कि गत वर्ष मुद्रा योजना के निर्धारित लक्ष्यों रु. 10313.70 करोड़ के सापेक्ष रु. 9528.26 करोड़ की उपलब्धि थी, जबकि इस वर्ष 08.12.2017 तक रु. 12461.25 करोड़ के सापेक्ष रु. 6939.19 करोड़ वितरित कर दिये गये जो कि लक्ष्य का 59.58% है।

स्टैंडअप इण्डिया विशेष रूप से एस.सी./एस.टी. एवं महिला उद्यमियों के लिए तैयार की गयी है। इसमें अब तक क्रमशः रु. 974.12 करोड़ तथा रु 420.61 करोड़ की स्वीकृत एवं वितरण सम्पन्न किया जा चुका है।

ऋण वसूली :

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋणों की समग्र वसूली क्रमशः 64.95% एवं 64.69% रही है। यह वसूली गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में की गई वसूली यथा 63.85% तथा 63.06% से वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे बैंको को यथा सम्भव सहयोग प्रदान करें ताकि वसूली में अपेक्षित सुधार आये। इसका सीधा असर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर पड़ेगा।

अंत में उन्होंने सभी उपस्थित गण मान्य अतिथियों तथा प्रतिभागियों की प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी एवं गरिमामयी उपस्थिति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा ऋण मोचन का कार्य उ.प्र. में ऑनलाइन मोड में प्रारम्भ किया गया तथा सभी बैंकर्स ने अपना भरपूर योगदान दिया वह काबिले तारीफ है क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं था। श्री पाण्डेय ने मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी स्टैकहोल्डर्स से उचित सहयोग की अपेक्षा की -

- प्रदेश में व्यावसायिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) का ऋण जमानुपात सितम्बर, 2017 के अन्त तक 46% है।
- प्रदेश में -10- जनपदों का ऋण जमानुपात 30% अथवा कम है साथ ही -10- बैंकों का ऋण जमानुपात भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 60% से तो कम है ही साथ ही राज्य औसत 46% अथवा इससे भी कम है। अखिल भारत स्तर पर ऋण जमानुपात 73% है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि उद्योगों एवं निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित नीतियां लागू की जा चुकी हैं:-



- "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017"
- "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017"
- "नवीन सौर ऊर्जा नीति-2017"
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति-2017
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017
- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग नीति-2017 एवं फिल्म नीति-2017 प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रंट कारीडोर, अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कारीडोर तथा दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर के दोनों ओर इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर एवं औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय एवं बुलंदखण्ड क्षेत्र में 20 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- स्थानीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कराना प्रदेश सरकार का उद्देश्य है।
- प्रदेश में उद्योग निवेश आकर्षण हेतु आगामी 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को लखनऊ में प्रदेश सरकार द्वारा "इन्वेस्टर्स समिट-2018" का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें potential एवं इच्छुक entrepreneur को सिलसिलेवार मौजूदा बाजार/सरकार की नीतियों/उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न incentives/आगामी कार्य योजना एवं रणनीतियों से अवगत कराया जावेगा।
- वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य ₹0 200958.25 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर, 2017 तक ₹0 77809 करोड़ (39%) का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है।
- बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण में अभिवृद्धि लायी जाय। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 3 माह का समय शेष है अतएव बैंकों द्वारा एक अभियान चलाकर योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ति की जाय।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 तक खोले गये 4.62 करोड़ (धनराशि ₹0 11540 करोड़) खातों के सापेक्ष 3.60 करोड़ लोगों को रुपये डेबिट कार्ड प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में अभी 1.02 करोड़ खाता धारक रुपये डेबिट कार्ड/बीमा से वंचित हैं। अपेक्षित है कि बैंक, अभियान चलाकर सभी खाताधारकों को रुपये कार्ड वितरण के साथ-साथ उनका एक्टिवेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों को आधार से लिंक करने की स्थिति में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में अभी 71% खाते आधार से जुड़े हैं। यह कार्य 31 मार्च, 2018 तक शतप्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2017 33.52 लाख एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.31 करोड़ लोगों को तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत योजना के प्रारम्भ से 10.64 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत कुल 47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 30 नवम्बर 2017 तक बैंकों द्वारा 21.57 लाख (46%) किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये हैं जबकि ऋण मोचन योजना में कुल 33 लाख से अधिक काफ़्तकारों को ऋण राहत प्रदान की जा चुकी है जिसमें से लगभग 24 लाख कृषक ऐसे हैं जो ₹0 1 लाख से कम राशि वाले हैं। अतः ऐसे समस्त कृषकों को नया कार्ड जारी करने का प्रयास किया जाये।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत बैंकों के स्तर पर 2742 आवेदन पत्र लम्बित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। बैंकों से अनुरोध है कि वो लम्बित आवेदन पत्रों को त्वरित निस्तारण करें।
- अलग अलग जिलों में अलग-अलग उत्पाद स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है। इसे बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद का कार्यक्रम लागू किया जाये।
- प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत बैंकों के स्तर पर 3565 आवेदन पत्र बैंकों में निस्तारण हेतु लम्बित हैं, जिनके त्वरित निस्तारण की आवश्यकता है।



प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारम्भ से 30 सितम्बर, 2017 तक 1958 लाभार्थियों को ₹0 190 करोड़ के आवास ऋण उपलब्ध कराये गये जिनमें से ई0डब्ल्यूएस0/एल0आई0जी0 वर्ग के 1601 लाभार्थियों को ₹0 34.98 करोड़ एवं एम0आई0जी0-1/2 वर्ग के कुल 357 लाभार्थियों को ₹0 55 करोड़ का ऋण वितरित

किया गया है। केन्द्र/राज्य सरकार के सबके लिये आवास मिशन को निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2022) में पूरा करने के लिए बैंकों को युद्ध स्तर पर ऋण वितरण का कार्य पूरा करना है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इण्डिया स्कीम भारत सरकार की -2- फ्लैगशिप योजनाएँ हैं। अभी तक की प्रगति इंगित करती है कि इन दोनों योजनाओं में और प्रगति लायी जाये ताकि प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का भरपूर लाभ प्राप्त हो सके।
- आर्टिजन क्रेडिट कार्ड एवं विशेष समंवित योजना के अंतर्गत भी विशेष प्रयास करते हुए सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- -25000- गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोल जाने हेतु रोडमैप तैयार किये जाने में तेजी लायी जाये ताकि यह योजना मूर्तरूप ले सके।

श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, कृषि ने सदन को सम्बोधित किया तथा निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर बैंकर्स का ध्यान आकर्षित किया:

- एग्रीजंक्शन स्कीम एवं एग्रीक्लीनिक स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है।
- पिछले 2 वर्षों में इन योजनाओं से जुड़े ग्रेजुएट्स के बिजनेस काफी अच्छे चल रहे हैं तथा उनका प्रतिवर्ष टर्न ओवर रु. 1 करोड़ से अधिक रहा। अतः इन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाये।
- इन योजनाओं में उ.प्र. सरकार की ओर से ब्याज पर 5% का अनुदान दिया जाता है तथा ये योजनाएँ प्रदेश में लोकप्रिय हैं।
- एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत कस्टम हायरिंग स्कीम में भी ऋण दिया जा सकता है। यह योजना केन्द्र सरकार की है तथा केन्द्र सरकार की ओर 40% का अनुदान दिया जाता है।
- हरित क्रांति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाये।
- प्रधानमंत्री बीमा योजनांतर्गत सभी पात्र कृषकों के खाते से बीमा राशि निर्धारित तिथि 31.12.2017 तक काट ली जाये तथा 15.01.2018 तक पोर्टल पर अपलोड करा दी जाये।

श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. शासन ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित लाभार्थियों के आवेदन पत्रों पर बैंक यथा शीघ्र विचार कर निस्तारण करें ताकि समय से लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। - 14000- के लक्ष्य में सिर्फ -1932- दावे ही निस्तारित किये गये हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी चालू की जा रही है। एक नई योजना आ रही है।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने निम्न बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये :

- -571- चिन्हित स्थानों पर बैंक शाखाएँ/ बैंकिंग आउटलेट 31.12.2016 तक खोलनी थी। उनमें जो भी शेष शाखाएँ खोलनी हैं उन्हें बैंक अधिकतम 31.03.2018 तक अवश्य खोल ले।
- विभिन्न बैंकों से सम्बद्ध करेंसी चेस्ट की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये जहाँ कहीं भी जिलाधिकारी कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना हो या पूर्व में जारी लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है वही इस प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया जाये।
- बैंक अपने अपने ए.टी.एम. की प्रोग्रामिंग रु. 200 मूल्य के करेंसी नोट के अनुसार करा लें ताकि रु. 200 मूल्य के करेंसी नोट ए.टी.एम. से भुगतान किये जा सकें। बैंक अपनी गैर लाभप्रद शाखाओं में सुधार हेतु कार्य योजना बनाये।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कुछ प्रमुख विषयों पर सदन के समक्ष चर्चा की। श्री पाण्डा ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित डी.ई.डी.एस. (Dairy Enterprenurs Development Scheme) के बारे में बताया कि इस योजना में प्रदेश के बैंक रु. 14 करोड़ अनुदान ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि एस.एल.बी.सी. सभी बैंकों से जानकारी प्राप्त कर ले कि कहीं डी.ई.डी.एस. परियोजना से सम्बन्धित अनुदान प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने हाल ही में नाबार्ड का निरीक्षण किया था तथा सभी अनुदानों की समीक्षा करते हुए बताया कि भारत सरकार ने उ.प्र. की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं। अतः उन्होंने बैंकों से अपील की कि नाबार्ड से मिलने वाली अनुदान सम्बन्धित योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समस्त बैंक जिन्होंने नाबार्ड से अनुदान प्राप्त किया है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अवश्य दे दें। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की माँग आ रही है। उन्होंने कहा Interest Subvention प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लिंक होना आवश्यक है। नाबार्ड वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के आयोजन पर रु. 5000/- की वित्तीय सहायता प्रदान



उन्होंने बताया कि नाबार्ड आरसेटी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए रु.3 लाख (तीन लाख रुपये) की अनुदान प्रदान करता है। नाबार्ड ने जिन आरसेटी को भुगतान कर दिया है उनके बिल अभी नाबार्ड को प्राप्त नहीं हुए हैं। नाबार्ड वीसेटस, मोबाइल सिग्नल बूस्टर, पॉस मशीन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वर्तमान में नाबार्ड ने ई- शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसकी जानकारी पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर भी संक्षिप्त चर्चा की।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या - 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 20.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 20.09.2017 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 13.12.2017 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या - 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 20.09.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले सभी पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं उनके एक्टिवेशन हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। साथ ही साथ मनरेगा श्रमिकों के खातों, पी.एम.जे.डी.वाई के अंतर्गत खुले खातों व सिविल पेंशनर खातों में आधार सीडिंग का कार्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

2. 5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्वारा ब्रिक एवं मोटार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:

सदन में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। अद्यतन शिथिल प्रगति के दृष्टिगत सभी बैंको द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही कर समय-सीमा में शाखाओं को खोलने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अनुरोध दोहराया गया। पुनः -25000- शाखाएँ प्रदेश में खोलने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए सदन में निर्णय लिया गया कि एस.एल.बी.सी. जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक बैठक आयोजित करे तथा इसमें अंतिम रूप से रोडमैप तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाये।

3. बैंको द्वारा LBS MIS- I, II और III विवरणी का ससमय प्रेषण :

एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन में उपस्थित समस्त सम्बद्ध को इन विवरणियों के प्रेषण की महत्ता बताते हुए इनके सुसंगत आँकड़ों के ससमय प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया गया।

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैण्ड अप इण्डिया योजना :

शत प्रतिशत योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी स्टैकहोल्डर्स से अनुरोध किया।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना:

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति से सदन को एजेण्डा के माध्यम से अवगत कराया गया तथा दिनांक 26.12.2017 को इसी विषय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने की भी बात बताई गयी। बैठक उपरांत हुई चर्चा की बात से सभी को बाद में अवगत कराया जायेगा।

कार्यसूची संख्या - 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियावयन

प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 15.08.2014 से प्रारम्भ की गयी इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस योजना के अंतर्गत दिनांक 25.08.2017 तक 4.60 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं तथा पिछली रिपोर्टिंग दिनांक 17.05.2017 से कुल 13 लाख नये



खाते 3 माह की अवधि में खोले गये तथा इसी अवधि में लगभग 7.5 लाख नये रूपे कार्ड जारी हुए जिनकी कुल संख्या समीक्षा अवधि में 3.61 करोड़ तक पहुँच चुकी है।

इसी के साथ डी.बी.टी. योजना के सफल क्रियावयन के लिए निष्क्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय कराने एवं नये बैंक मित्र बनाने पर विचार किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंक मित्रों के पास AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) आधारित ट्रांसेक्शन मशीन उपलब्ध है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में -8- स्थानों पर मेगा डिजी धन मेलों का आयोजन किया गया जिसमें जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियावयन -

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ यथा “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” व “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” एवं एक पेंशन योजना “अटल पेंशन योजना” के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दावों के निस्तारण पर बैंको, बीमा कम्पनियों में त्वरित गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया। अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र तथा प्राइवेट सेक्टर एवं स्वरोजगार व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु उपरांत उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

ग) (1) स्कूल बैंक चैम्पस कार्यक्रम -

भारतीय बैंक संघ ने वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से अवगत कराने एवं वित्तीय जागरूकता की भावना उत्पन्न कराने हेतु स्कूल बैंक चैम्पस प्रोग्राम का शुभारम्भ किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंको की सभी शाखाओं द्वारा एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब तक प्रदेश में अंगीकृत 9649 स्कूलों में 8820 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 472853 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम को आगे भी चलाया जाना है।

ग) (2) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में कौशल विकास संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिचालन केन्द्र की अग्रणी जिलों में कार्यरत वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के साथ मैप कराया जा रहा है। प्रदेश में अंगीकृत 2111 सक्रिय कौशल केन्द्रों में 1382 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 71007 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी।

ग) (3) जन-धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जन धन शिक्षा का शुभारम्भ किया। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 100 विद्यालयों को अंगीकृत किया जाना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। बैंको से विद्यालयों की मैपिंग का कार्य एस.एल.बी.सी. द्वारा पूर्ण किया गया है।

घ) वित्तीय समावेशन के तहत अन्य कार्यक्रम :

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की सघन समीक्षा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बैंको के साथ लगातार समीक्षा बैठक एवं वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इस सन्दर्भ में दो मुख्य बिन्दुओं पर जोर दिया गया है-

- 1) जारी किये गये सभी रूपे कार्ड्स एवं पिन का वितरण एवं एक्टिवेशन
- 2) जीरो बैलेंस खातों में फण्डिंग

ड) बैंक खातों में आधार प्रविष्टिकरण एवं अधिप्रमाणन :

भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार की अनिवार्यता आवश्यक कर दिया है। भारत सरकार ने Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules 2005 में संशोधन कर बैंको में 01.06.2017 से खोले जाने वाले खातों में आधार संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी मौजूदा बैंक खातों में 31.03.2018 तक आधार लिंकिंग तथा सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

च) डिजिटल बैंकिंग:

मुद्राकरण के पश्चात कैश लेश लेन देन को बढ़ावा देने हेतु बैंको ने आधार युक्त जमा भुगतान एवं रूपे कार्ड आधारित जमा भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आई. (Unified Payment Gateway); भीम (Bhim) इत्यादि जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है।



डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹. 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें से बैंको को अपने स्तर पर इलेक्ट्रानिकली ट्रांजेक्शन यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.म.पी.एस. क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पाइंट ऑफ सेल, आधार आदि से पूर्ण करना है। सितम्बर 2017 तक की प्रगति 49% परिलक्षित हुई।

कार्यसूची संख्या - 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन- प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है जो कार्यशील पूंजी और टर्म लोन के रूप में होती है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्त पोषण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अब बुनकर समुदाय हेतु ऋण सुविधा “मुद्रा योजना” के अंतर्गत कवर की जायेगी और यह योजना “प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर – मुद्रा योजना” के नाम से जानी जायेगी। इस सन्दर्भ में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं और वित्तीय वर्ष 2016-17; 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्लस्टरवार एवं बैंकवार कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश चिन्हित बैंकों द्वारा प्रेषित किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियाव्ययन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समन्वय में गठित है, जिसकी नियमित बैठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जानी है।

कार्यसूची संख्या – 5

(वार्षिक ऋण योजना 2017-18 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत सितम्बर 2017 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति सदन के समक्ष एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार द्वितीय त्रैमास की वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष कुल उपलब्धि 38.72% रही इसमें सेक्टरवार प्रगति का प्रतिशत क्रमशः कृषि – 33.55%; लघु उद्यम- 73.85% एवं सेवा क्षेत्र- 25.83% दर्ज किया गया।

वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 2017-18 के लिए यह योजना रु. 32560.59 करोड अधिक रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के सितम्बर 2017 तक गत वर्ष की समान अवधि के लिए रु 5076.09 करोड धनराशि अधिक वितरित हुई।

प्रस्तुत आँकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक तथा निजी क्षेत्र के बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रगति 43.90% व 24.00% रही है। कोआपरेटिव बैंको की प्रगति का प्रतिशत 32.72% रहा है।

समस्त सदस्य बैंको को पुनः स्मरण कराया गया कि अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्त आँकड़ों के समेकन हेतु एल.बी.एस. एम.आई.एस. (LBS MIS) का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि समेकित डाटा भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

कार्यसूची संख्या – 6

(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और इसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने हेतु विचार किया गया। इस सन्दर्भ में प्रदेश के सितम्बर 2017 त्रैमास की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मार्च 2017 के सापेक्ष बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी की समीक्षा हुई।

ऐसे जनपदों के ऋण जमा अनुपात का अवलोकन किया गया तथा बल दिया गया कि इस हेतु सघन प्रयास किये जाये ताकि ऋण जमा अनुपात में सार्थक एवं सकारात्मक वृद्धि हो सके। बैंको से अनुरोध किया गया कि बैंक अपने स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श समितियों को निर्देशित करें व मीटिंग में हुई प्रगति से एस.एल.बी.सी. को अवगत करायें। बैंको को सुझाव दिया गया कि जमा राशियों के जोड़ में इंटर बैंक जमा राशि घटा कर ऋण जमा अनुपात देखा जाये। यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की संयोजकता में एक उपसमिति गठित की गयी है जो इस योजना की समीक्षा करती है और जिसकी समीक्षा बैठक निरंतर होती है।

कार्यसूची संख्या - 7

(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदस्य को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गठित उपसमिति की बैठकों में विस्तृत समीक्षा



की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि इस समीक्षा बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए जिससे सभी विभागों द्वारा सम्बन्धित प्रगति की सार्थक चर्चा की जा सके।

कार्यसूची संख्या – 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष समीक्षा अवधि तक कुल 1986791 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं जिनमें कुल 555152 नये कार्ड जारी किये गये एवं शेष 1431639 कार्डों का नवीनीकरण किया गया। साथ ही साथ यह योजना भी बीमा से आच्छादित है जिसमें किसान का एक व्यक्तिगत बीमा एवं दूसरा दिए गये ऋण का बीमा होता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का क्रियावयन सभी बैंको के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना प्रत्येक ऋणी कृषको के लिए अनिवार्य है। अतः बैंको द्वारा प्रत्येक किसान को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2017-18 के लिए खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना की प्रगति कृषि निदेशालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई। सदन के समक्ष एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. एवं निजी बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई।

बैठक में ऋणी तथा अऋणी कृषकों के ऋण खातों में बीमा प्रीमियम की धनराशि खाते से डेबिट कर कंसेट फार्म के अनुसार, वांछित सूचनाओं सहित प्रीमियम राशि का उपयुक्त स्तर पर ससमय प्रेषण, योजना के पोर्टल पर अपलोड किये जाने पर चर्चा हुई तथा प्रीमियम राशि डेबिट होने की सूचना ऋणी/ अऋणी कृषक को SMS के माध्यम से प्रेषित करना आवश्यक है।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक बीमित कृषक के बैंक खाते को कृषक के आधार कार्ड से लिंक किये जाने का अनुरोध बैठक के माध्यम से किया गया।

कार्यसूची संख्या – 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा की गयी। स क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। सदन में भारत सरकार की “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” की प्रगति विस्तृत चर्चा की गयी तथा सदन को बताया गया कि प्रदेश में इस योजना की प्रगति लगभग 59.58% रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सेक्टर की सघन समीक्षा नियमित रूप से Empowered Committee on MSME के माध्यम से की जा रही है। इसी क्रम में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गयी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये “स्टैण्ड अप इण्डिया” कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसमें प्रगति हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन में योजनांतर्गत प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। सदन को बताया गया प्रत्येक जिले में बैंक 50 सबसे अधिक ऋणी के अवशेष की सूची बनाकर राजस्व विभाग को प्रेषित की जाये ताकि इसकी वसूली सुनिश्चित की।

सदन में उपस्थित कुछ बैंको द्वारा अवगत कराया गया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु जनपद स्तर से वांछित सहयोग बैंकर्स को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।



कार्यसूची संख्या – 12
(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 24.97% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक के सापेक्ष उत्साहवर्धक है।

कार्यसूची संख्या – 13
(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/विभागों यथा राजीव गांधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी। समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज के कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान करें।

इसी क्रम में सदन को यह भी अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठके बैंक ऑफ बड़ौदा व नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

कार्यसूची संख्या – 14
(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)
“राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम.”

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियावयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया एवं यह भी बताया गया कि योजनांतर्गत लक्ष्य विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये हैं, जिनकी पूर्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

आरसेटी सस्थानों की स्थापना

एजेण्डा अनुसार -3- अग्रणी जनपदो यथा शामली, हापुड़ एवं सम्भल में आरसेटी स्थापित होना शेष है। सम्बन्धित अग्रणी बैंको से अनुरोध है इस कार्य में गति प्रदान करें ताकि आरसेटी का उपयोग उद्देश्य अनुसार हो सके।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी “सूडा” है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के बैंकवार लक्ष्य समस्त बैंको को प्रेषित कर दिए गये हैं और इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में सूडा के प्रतिनिधि ने बैंको को प्रेषित लक्ष्यों से सदन को अवगत कराया एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी – ‘के.वी.आई.सी.’ के माध्यम से क्रियावित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नोडल एजेंसी द्वारा कुल वार्षिक लक्ष्यों का एजेंसीवार/ जनपदवार आवंटन सभी स्टेक होल्डर्स को प्रेषित किया जा चुका है। इस विषय पर श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, खादी प्रामोद्योग बोर्ड ने इस योजनांतर्गत चयनित किये गये लाभार्थियों को यथासम्भव शीघ्र वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखतए है उनके आवेदन नोडल एजेंसी को बैंको द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दिए जाये जिससे नोडल एजेंसी को वास्तविकता की जानकारी हो सके तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अन्य पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया समय से पुनः प्रारम्भ हो सके।

विशेष समवित्त योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -4863- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -801- मामलों में वितरण की कार्यवाही की गयी।



मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने हेतु वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुनः अनुरोध किया गया। नोडल विभाग द्वारा बैंको से पुनः अनुरोध किया गया कि वे लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें जिससे उनकी धनराशि प्राप्त हो सके। ताकि बड़ी संख्या में ऋण खाते गैर निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) में तब्दील होने से बच सके।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी समीक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना वर्ष 2017 से समाप्त कर दी गयी है परंतु माइक्रो कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं एवं संतोषजनक प्रगति भी परिलक्षित हो रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

दिनांक 17.02.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य “सबके लिए आवास” उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रगति से सदन को अवगत कराया गया एवं प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 15

(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीकल्चर/ एग्रीबिजनेस केन्द्र –

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट – सब्सिडी योजना –

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 16

(शैक्षिक ऋण)

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -11146- मामलों में कुल रु. 389.04 करोड़ की धनराशि वित्त पोषित की गयी।

कार्यसूची संख्या – 17

(बैंको के विरुद्ध अपराधिक घटनाएँ)

चर्चा के दौरान सदन को बैंकों से सम्बन्धित निम्न आपराधिक मामलों के विषय में बताया गया:-

1. बैंक ऑफ बड़ौदा की कुण्डेसर शाखा, वाराणसी क्षेत्र में दिनांक 27.09.2017 को परिसर में लगे ए.टी.एम. केबिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ने का प्रयास किया एवं उसे पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी भी प्रकार की नकदी की हानि नहीं हुई।
2. प्रथमा बैंक की सेंटा खेड़ा शाखा में लूट का असफल प्रयास किया गया। अज्ञात बदमाशों ने दीवार और कैश रूम के दरवाजे को तोड़ने का असफल प्रयास किया परंतु सफल न हो सके।
3. इलाहाबाद बैंक, रानीबाजार शाखा, गोण्डा में रु. 50 लाख की लूट की घटना को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया। घटना के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी और बक्शा लेकर मोटर साइकिल से भाग गये। अस्पताल में गार्ड की मृत्यु हो गयी।

तीनों ही मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी।



कार्यसूची संख्या - 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

अंत में एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक एस.एल.बी.सी., श्री बी. एस. ढाका ने सदन को अवगत कराया कि लघु एवं सीमांत कृषकों के एन.पी.ए. ऋण समाधान योजना जो राज्य सरकार ने प्रस्तावित की थी, के बिन्दुओं पर सदन में चर्चा हुई। इस योजना को अंतिम रूप देने तथा उसके कार्यावयन हेतु समय समय पर उ.प्र. शासन द्वारा भी विचार विमर्श हेतु बैठके आयोजित की जा रही है। इस योजना में उन ऋण खातों को ऋण मोचन हेतु विचार्य लिया गया है जो एन.पी.ए. हो चुके हैं।

बैठक के अंत में श्री के.डी. बंशल, उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

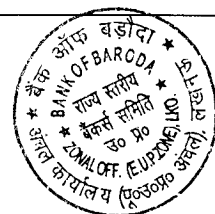


राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 26.12.2017 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	- Under PMJDY, the Banks have opened large number of Bank Accounts who have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. - Aadhaar has been made mandatory for Account opening in Banks w.e.f. 01.06.2017 and all accounts including SB/CA/CC/OD/TD will become inoperative after 31.03.2018 if not authenticated with Aadhaar. - Inactive Bank Mitras in SSA Sub Service Areas must be activated or replaced, if needed. - Progress of selling up of Aadhaar enrollment Centre has been monitored by UIDAI. - Certification of Officials by UIDAI - UIDAI has mandated RD (Registered devices) service for all Biometric devices used by /on behalf of Authentication User Agency (AUA) /e-KYC User Agency (KUA). All the devices have to be registered with UIDAI and the fingerprint obtained through the devices shall be encrypted and it can be decrypted by UIDAI alone. Due to this process change, log-in facility provided for BC Agents through finger print cannot be performed at FI gateways and the fingerprint of BC Agents are to be sent to UIDAI alongwith respective Aadhaar Number of BC Agent. - Progress under PMJJBY & PMSBY needs further improvement as per instructions of GoI. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Government have initiated various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Correspondents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)
2.	Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.	In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centers have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in consultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline. As per RBI Circular nos. RBI/2016-17/306DBR.No.BAPD.BC.69/22.01.001/2016-17 dated 18.05.2017 and FIDD.Co.LBS.BC.No.31/02 .01.001/2016-17 dated 08.06.2017, it was advised to ensure coverage of unbanked centers in villages with population above 5000 by opening CBS enabled banking outlets. Till September 2017, -58- Bank Branches and -79- Banking outlets have been opened by various banks leaving a gap of -434- branches/banking outlets to be opened at the earliest. A detailed discussion has taken place during a Sub – Committee Meeting dated 04.05.2017 & 17.07.2017. The issue has been effectively taken up with all Banks by SLBC.	RBI has expressed their concern & displeasure over no marked improvement in this regard. All -30- Banks who have been allocated their share for opening of Branches are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved latest by 31.03.2018. (Action: All -30- Banks)



3.	Submission of LBS MIS I, II & III Statements by Banks	The Reserve Bank of India has issued guidelines vide Master Circular – RBI/2016-17/02FIDD.CO.LBS.BC. No.5/02.01.001/2016-17 dated 01.07.2016 for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III under the Lead Bank Scheme. The position of disbursement, outstanding and recover is monitored by various authorities on the basis of Bank-wise data. However, it is experienced that the periodical data is not submitted to the SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in submission of the consolidated information to RBI in respect of the various Banks in the State. In view of the statutory requirement and the importance of this data base, the Banks are required to invariably submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC. Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for necessary action and resolution.	In view of the fact that the desired outcome is not yet forthcoming and Reserve Bank of India has viewed it seriously, the Banks are requested for suitable necessary action in this regard in tune with extant guidelines of Reserve Bank of India. (Action: All Banks)
4.	Effective Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets	The PMMY & Stand Up India Schemes are Govt. of India sponsored Schemes and were launched with effect from 08th April 2015 and 05th April 2016 respectively. Under PMMY, the Annual Targets are received by the Banks in the State from their Corporate Office which in turn are distributed up to the Branch Level. Under the SUI, every branch is required to finance -1- SC/ ST and -1- Women Entrepreneur. It would be pertinent to mention that under PMMY, the maximum Ceiling of the loan account per beneficiary is Rs. 10 lacs while under the Stand Up India Scheme, the projects ranging from Rs.100001/- up to Rs. 1 Crore are covered. The Progress under PMMY during 2015-16 and 2016-17 at the level of 80.97% and 91.24% respectively against the set Annual Targets indicate that Banks are actively involved in the process of scheme implementation. Similarly, under Stand Up India scheme, the performance of the Banks has remained at the level of approx. 12%. The low performance, is a matter of concern at all levels and is attributed to various reasons which requires certain modifications under scheme implementation. The Targets under PMMY for Fiscal 2017-18 are already finalized and the progress is being closely monitored by various authorities. Against the set Annual Target of ₹ 12461.25 crores, the achievement as at 08.12.2017 is to the tune of Rs. 7424.20 crores (59.58%) during fiscal 2017-18. In view of the fact that both these schemes are aimed at employment generation, fulfilling the assigned targets is also necessary.	Owing to the utmost importance attached to the issue with regard to achievement of set annual targets, all Banks are requested to actively participate under the scheme implementation and endeavor to achieve the set Annual Targets. Concerned was shown particularly for SUI by the Govt. that the progress in this scheme was very low. (Action: All Banks)
5.	Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all.	The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015. The Scheme has four verticals viz. "In Situ" Slum Redevelopment, Affordable Housing through Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, and Subsidy for beneficiary- led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institution (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme covers EWS, LIG and MIG Sections of the society and covers various loan components up to Rs. 18 lacs. The Government is placing a lot of thrust on the Housing Sector and this scheme being implemented through Banks with a Subsidy component is being closely monitored.	Looking to the importance of the Scheme and thrust on housing, Banks are requested to actively participate under scheme implementation. The State Govt. has convened a Meeting in this regard on 26th Dec'2017 itself to review the progress. (Action: All Banks, ; Central Nodal Agency)



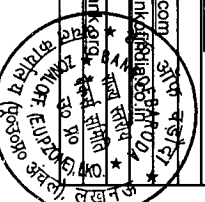
6	PMFBY & WBCIS	For Rabi 2017-18 the deduction of premium and its remittance to the insurance companies alongwith full details and also uploading of the information on Ministry's Portal be commenced latest by 31.12.2017 and 15.01.2018 respectively	SLBC and Agricultural Directorate are requested to issue necessary instructions to all the Banks for deducting the premium latest by 31.12.2017 and remittance of the premium with full details to the insurance companies latest by 15.01.2018. (Action: All Banks)
7	Recalibration of ATMs for Rs. 200/- currency notes	At present no bank has calibrated their ATMs for issuing currency note of Rs. 200/- due to very low delivery of notes to the Bank Branches.	RBI suggested to calibrate the ATMs of the Banks for issuing the currency note of Rs. 200/- through ATMS to the public as RBI is increasing the supply of this denomination. (Action: RBI, All Banks)



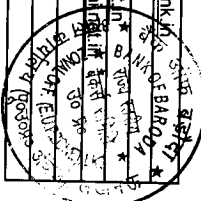
List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 26.12.2017

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Ashok Kumar Garg		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607,	zm.upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
4				Asstt. General Manager	Shri R K Singh	8887171993	rk.singh2@rbi.org.in
5	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	CGM	Chief General Manager	Shri A K Panda		mahesh.pahadisingh@nabard.org
6				General Manager	Ms. Tulika Pankaj	9565431047	is.upadhyay@nabard.org
7				Dy. General Manager	Shri J S Upadhyay	9967398630	qm.kkolu@sbci.co.in
8		Chief Gen. Manager/Cen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sen Gupta	9437165853	qm13.lholuc@sbci.co.in
9	State Bank of India			General Manager	Shri Shreekant	9565838999	dmnabuti.lholuc@sbci.co.in
10				Dy. General Manager	Shri Sushil Kumar	7706909222	k.tiwari@sbci.co.in
11				Asstt. Gen. Manager	Shri Kamalapati Tiwari		
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
13				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	rk.sharma-1966@yahoo.in
14	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Shiba Prasad Kar	9619195989	shibekar@unionbankofindia.com
15				Chief Manager	Shri Mooltal	9918702102	
16	Syndicate Bank	Field General Manager	Yes	Field. General Manager	Shri D Sampath Kumar Chary	9415550937	zo.lucknow@syndicatebank.co.in
17				Senior Manager	Shri S P Yadav	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
18	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brajesh Kumar Mohanty	9619299729	nb.north2@bankofindia.co.in
19				Chief Manager	Shri Sanjay K Chitranshi	9839542449	sanjay.chitranshi@bankofindia.co.in
20	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
21				Senior Manager	Shri Sapant Gode	9918878770	rdluckzo@centralbank.co.in
22	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Rakesh Shukla	7073888700	zm.lko@pnb.co.in
23				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
24	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri Anil Kumar Jain	7317714914	ak.jain@canarabank.com
25				Manager	Shri Vijai Kumar	7080742666	ajfosoluck@canarabank.com
26	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager	Ms. Neera Chakravarty	7233002101	neera.chakravarty@indianbank.co.in
27				Manager (Agri)	Shri Ajai Kumar Chaubey	0522-2332205	zolucknow@indianbank.co.in
28	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Dinesh Kumar S Pandey	9721459499	dinesh.pandey@denabank.co.in
29				Senior Manager	Shri Perit Agrawal	9721459202	rd.lucknow@denabank.co.in
30	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Manoj Kumar	9415680213	lo802@psb.co.in
31				Manager	Ms. Yasmit Khan	8874228527	zo.lucknow@psb.co.in
32	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Shyamla Baskey	9903820102	cb8817aqr@corpbank.co.in
33	Andhra Bank	General Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri V S Rao	7311106709	zoluck@andhrabank.co.in
34				Manager	Shri Anil Kumar	9140038702	zoluck@andhrabank.co.in
35	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	No Participation			
36	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri N C Pandey	9004086262	np081320@obc.co.in
37				Chief Manager	Shri Bimal Kishore Pandey	8853942920	cmo-bb-ecup@obc.co.in
38	United Bank of India	Chief Regional Manager	no	Manager	Shri Arun Sharma	9711993440	bmgm@unitedbank.co.in
39	UCO Bank	Zonal Head	Yes	General Manager	Ms. Kalpana	7054845888	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
40				Dy. General Manager	Shri J C Chhipa	9415012621	zo.lucknow@ucobank.co.in
41	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Manoj K Sinha	99099546889	zmucknow@vijayabank.co.in
42	Bank of Maharashtra	State Head	no	Asstt. General Manager	Shri Ashok B Singh	7704809185	ho@barodaupb.co.in
43	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri G K Dixit	7084152222	luc@barodaupb.co.in
44	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Mitulish Kumar	9647572558	chairman_aupb@gmail.com
45	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri Rajendra Prasad	9119601600	chairman_aupb@gmail.com
46				Senior Manager	Shri Ram Ratan Verma	8172900251	rajendraprasad_fm@bankofaryavart.org
47	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	chairman@prathamabank.org
48	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairman@prathamabank.org



49	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kr. Sharma	8130167878	cms@upgb.com
50	Kashi Gomit Samyut Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Rajeev Srivastava	99844970001	gm.kgsa@kgsbank.co.in
51	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri Ashok Dubey	7525006030	
52	UPSC/VB	Managing Director	Yes	No Participation			
53	Axis Bank	Circle Head	No	Senior Manager	Ms. Mittal Savant	9889016931	mittal.savant@axisbank.com
54	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraga.gupta@hdfcbank.com
55	Naitait Bank Ltd., Naitait	Chairman & CEO	No	Associate Vice President	Shri Amar Singh	7055101598	lucknow@naitaitbank.co.in
56	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Omkar Nath	9450162814	onkar.nath@idbi.co.in
57	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	State SLP BC Head	Shri Atiab A Khan	8756888141	atiab.alam@icibank.com
58	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri Sandeep Kumar	9839222575	lucknow@ktbkbank.com
59	Federal Bank	State Head	Yes	AVP & Area Head	Shri Anand Kumar	9651192042	anandkumar@federalbank.co.in
60	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/State Head	No	No Participation			
61	Govt. of U.P.	Addl. Chief Secretary	Yes	Addl. Chief Secretary	Dr. Anoop Chandra Pandey, IAS		
62	Govt. of U.P.	Principal Secretary, KVIB	Yes	Principal Secretary	Shri Navneet Sehgal, IAS		
63	Agriculture	Principal Secretary	Yes	Principal Secretary	Dr. Amit Mohan Prasad, IAS	9412290079	sindhsdm@gmail.com
64	Rural Development	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri Achey Lal Singh Yadav		
65	UPSR/LM	Mission Director	No	Mission Executive	Shri Sundeep Singh	9889396444	sundeep2702@gmail.com
66	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
67	Handloom & Textile, GoUP	Principal Secretary	No	Asstt. Commissioner	Shri Manoj Kant Garg	9450726882	dhup@rediffmail.com
68	MSME Kanpur	Director	No	Dy. Director	Shri Rajesh Kumar	9451258935	dccl.kanpur@dcmsme.gov.in
69	Planning Department	Principal Secretary	No	Asstt. Director	Shri V K Bhatt	7505075691	
70	National Commission for SCs	Managing Director	No	Asstt. Director	Shri Dush Raj Singh	9454412168	
71	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	No Participation	Shri Tarun Khanna	9455004893	
72	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri Sarveswar Shukla	9415054007	diup123@rediffmail.com
73	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav		
74				Addl. Director	Shri Rakesh Krishna		
75				Coordinator	Dr. Sunam Srivastava	9415109216	
76				ARO	Shri Kanakhya Narayan	9450680583	
77	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	General Manager	Shri R P Singh	9415325269	md.hq.upscfc@gmail.com
78	Directorate of Agriculture	Director	No	Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	idastat@gmail.com
79				Joint Director	Shri Rajesh Kumar Gupta	9235629324	idastatdes@gmail.com
80				State Director	Shri R S Pandey	9454364925	kvic.lko2011@gmail.com
81	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	Senior Executive	Shri Subodh Kumar	9415463217	kvic.lko2011@gmail.com
82				Asstt. Director - II	Shri Ashutosh Kumar Singh	9415463417	
83		Director	No	Senior Horticulture Officer	Shri Ashwani Kumar Mishra	9822703510	akmishra@b@gmail.com
84	National Horticulture Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	
85	Khadi & Village Industry Board	Managing Director	No	No Participation			
86	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Director General	No	SP, DGP Head Quarter	Shri Rahul Raj, IPS	9454400387	
87	Police Headquarter	Regional Manager/DGM	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri Vishal Goyal	(09717691285	visnal.goyal@nhb.org.in
88	National Housing Bank	Executive Director	No	Director	Shri Vivekanand	9404010077	udyoqandhu.com
89	UDYOG Bandhu	General Manager	No	No Participation			
90	HUDCO	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri V S Sharma	7060207300	mc&pcvssharma@gmail.com
91	RSETL, MORID	Regional Manager	No	Senior Branch Manager	Shri Harjeet Singh Sachdeva	9411451641	hs.sachdeva@ilcindia.com
92	LIC of India	State Head	No	Asstt. Manager	Shri R K Pandey	9415668457	pandey.ranakan@ulic.co.in
93	United India Insurance Co. Ltd	Regional Manager	No	No Participation			
94	Oriental Insurance Co. Ltd.	Chief Regional Manager	No	Administrative Officer	Shri Faizal Khan	9458169328	faizalk@aicofindia.com
95	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Commissioner	No	No Participation			
96	EPFO			Special Invites			
97					Shri Apoorv Kapoor	9794999220	apoorv.kapoor@yesbank.co.in
98	Yes Bank	State Head	No	Senior Manager			
99	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation			
100	UIDAI	Asstt. Director General	No	Dy. Director	Shri Sunil Kumar Pandey	9415086499	sunil.pandey@uidai.nel.in
101	UIDAI	Asstt. Director General	No	Dy. Director	Shri Awadesh Chandra Nigam	8005496565	awadesh.nigam@uidai.nel.in
102	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Asstt. Commissioner	Dr. Todor Mail	9452237571	dtodor@gmail.com
103				Dy. Gen. Manager	Shri K D Bansal		
104				Dy. Gen. Manager	Shri Pankaj Srivastava	7880972333	pankaj_bob@rediffmail



105		Asstt. Gen. Manager	Shri Sanjeev Gupta	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
106		Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
107		Senior Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
108		Manager	Shri Shailendra Kr. Sharma	0522-6677717	
109		Officer	Shri Rakesh Kumar Srivastava	0522-6677725	
110		Officer	Smt. Sheetal	0522-6677694	
111		Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
112		Business Associates	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
113		Business Associates	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	

Bank of Baroda

